

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र
(समक्ष-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)

व्यवहार वाद क्रमांक 11-ए/2015

नानुराम पिता मिलिया मारु, आयु 60 वर्ष
व्यवसाय-कृषि, निवासी- ग्राम मेहगाँव
डेब, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----वादी

वि रु द्ध

1. हेमचंद पिता मिलिया मारु,
आयु 55 वर्ष व्यवसाय कृषि
2. प्रभाकर पिता हेमचंद मारु
आयु 20 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
3. चन्द्रशेखर पिता भागीरथ मारु,
आयु 37 वर्ष, व्यवसाय कृषि
तीनों निवासी-ग्राम मेहगाँव डेब
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.
4. तेजा पिता बालू कुमावत, आयु 55 वर्ष
5. कमल पिता नथु मारु,
आयु 40 वर्ष, व्यवसाय कृषि
दोनों निवासी-ग्राम हतोला,
तहसील ठीकरी जिला बड़वानी म.प्र.
6. मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश,
बड़वानी, जिला बड़वानी`

-----प्रतिवादीगण

// आ दे श //

(आज दिनांक 09.10.2015 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा वादी के आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. अंतर्वर्तीय आवेदन नम्बर 1 दिनांक 18.05.2015 का निराकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वादी ने ग्राम सेमलदा डेब तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 242/3/1 तथा 246/1 रकबा 1.352 हेक्टेयर में स्थित पक्का कुआँ (जिसे आगे वादग्रस्त कुआँ

कहा जायेगा) में से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 एवं 6 को वाद का अंतिम निराकरण होने तक कब्जा करने और वादी के आधिपत्य के कुँ में प्रवेश करने तथा विद्युत मोटर लगाकर सिंचाई करने से निषेधित करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा चाहिए है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 ने भी आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आवेदन दिनांक 30.05.2015 आई ए नम्बर 2 के माध्यम से वादी के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा चाहिए है कि वादी प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त कुँ में से स्वयं या अन्य किसी माध्यम से बारी-बारी सिंचाई करने से वाद का अंतिम निकराण होने तक नहीं रोके।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 सगे भाई है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 का पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रमांक 3, 4 एवं 6 भी वादी के परिवार के ही सदस्य है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी तथा वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य वाद संस्थित करने के लगभग 8 वर्ष पूर्व उनके पिता की भूमि पर आपसी विभाजन हो चुका है तथा वादग्रस्त कुँ वादी की स्वत्व की भूमि पर बना हुआ है।

3. वादी का आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई ए नम्बर 1 संक्षेप्त में इस प्रकार है कि उसके स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम सेमलदा स्थित सर्वे नम्बर 242/3/1 तथा 246/1 रकबा 1.352 हेक्टेयर पर वादी का कुँ बना हुआ है और उस पर विद्युत मोटर सिंचाई हेतु लगी है जिसका उपयोग वादी अपनी भूमि में सिंचाई हेतु करता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को विभाजन में ग्राम सेमलदा की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 247/2 रकबा 0.809 प्राप्त हुई है, उस पर कच्चा कुँ है जिसका उपयोग प्रतिवादी क्रमांक 1 विभाजन होने के बाद से कर रहा है, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 ने वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य के वादग्रस्त कुँ पर कब्जा करने और मोटर लगाकर सिंचाई करने का प्रयास कर रहे है जिस हेतु वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.05.15 को प्रातः लगभग 10 बजे वादी के साथ गाली-गलोच कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना की रिपोर्ट वादी ने थाना अंजड़ में की थी, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 एवं 6 वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल न कर दे इसलिए वादी ने यह वाद एवं आवेदन पेश किया है। आवेदन के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र तथा उसके द्वारा थाना अंजड़ में दिनांक 05.05.15 को लिखाई गई असंज्ञेय अपराध क्रमांक 179/15 की छायाप्रति एवं बिजली के बिल और अपनी भूमि राजस्व अभिलेख की प्रतियाँ पेश की है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 तथा 6 ने वादी के उक्त आवेदन का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि वास्तव में उक्त वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 12, 242/3, 246, 247 तथा ग्राम मेहगावें एवं गवला की भूमि पैतृक है जो वादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता के नाम से थी। स्व. भिलिया के 6 पुत्र थे। सीताराम, गेंदालाल, प्रतिवादी क्रमांक 1, वादी एवं भागीरथ तथा नत्थु थे। नत्थु की मृत्यु के बाद उसके वारिसों मधुसुदन, कमल, देवीलाल तथा पुत्र भागीरथ की मृत्यु के बाद उसके वारिस चन्द्रशेखर, संतोष, जानकीबाई, गुड्डी एवं उसकी पत्नी रूगन्या के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। भिलिया की मृत्यु के बाद उक्त समस्त भूमि संयुक्त रूप से रही जिस पर स्व. भिलिया के वारिसगण कृषि करते रहे, लेकिन सभी भाईयों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन दिनांक 17.03.1974 को हुआ था। विभाजन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में इंद्राज हुआ लेकिन सर्वे नम्बर 242/3, 246 तथा 247 में सिंचाई का कोई साधन नहीं होने से वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता ने संयुक्त रूप से कुआं गहरा कर वादी के स्वत्व की भूमि में स्थित वादग्रस्त भूमि में सिंचाई करना प्रारम्भ किया। प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता ने पूर्व में उक्त वादग्रस्त कुएँ पर सिंचाई हेतु मोटर रखी थी और कनेक्शन भी उनके नाम से चला आ रहा था तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 के पिता अपनी-अपनी कृषि भूमि पर बारी-बारी सिंचाई करते आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता की मृत्यु के बाद विद्युत विभाग से कनेक्शन वादी के नाम से लिया गया तथा तीनों भाई अपनी-अपनी कृषि भूमि में सिंचाई करते चले आ रहे हैं और बिजली का बिल भी बराबर हिस्सा करके भरते चले आ रहे हैं। उक्त कुआं 1963 से चला आ रहा है। वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 एवं 6 के मध्य मौखिक विभाजन 2009-10 में हुआ था तथा वादग्रस्त कुआं वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के संयुक्त स्वामित्व का है जिसे वे तीनों ही सिंचाई करते चले आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त कुएँ का विभाजन कभी नहीं हुआ, किन्तु वादी की नियत खराब हो जाने से उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 को इस वर्ष सिंचाई करने से रोका गया, जिसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी ने असत्य आधार पर पुलिस रिपोर्ट की थी इसलिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। चूँकि वादग्रस्त कुआं संयुक्त है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 को भी सिंचाई करने का बराबर अधिकार है। इसलिए वादी का उक्त आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 ने अपना शपथ पत्र पेश किया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 ने इस वाद में काउन्टर क्लेम के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आवेदन पेश करते हुए उक्त वादग्रस्त कुएँ को वादी तथा स्वयं के संयुक्त स्वामित्व का होना बताते हुए वादी के विरुद्ध वाद का अंतिम निराकरण होने तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है कि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 को वादग्रस्त कुएँ से बारी-बारी से सिंचाई करने से नहीं रोके तथा अपने आवेदन के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 ने स्वयं का शपथ पत्र तथा साक्षी के रूप में शांतिलाल, गोकुल के शपथ पत्र वादग्रस्त कुआं वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 के संयुक्त स्वामित्व के होने के संबंध में पेश किया है।

6. वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 के आवेदन आई नम्बर 2 का जवाब पेश करते हुए स्पष्ट किया कि वादग्रस्त कुंआ वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में स्थित है, जिसका उपयोग वादी ही करता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की सर्वे नम्बर 247/2 में स्थित भूमि पर पक्का कुआँ है जिससे वह पानी लेता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. प्रकरण में विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैं –

- अ. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 व 6 के पक्ष में है ?
- ब. क्या वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 व 6 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने की दशा में उनको को अपूर्णीय क्षति होगी ?
- स. क्या सुविधा का संतुलन वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 6 के पक्ष में है ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक अ, ब एवं स के संबंध में

8. उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दु परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि वादग्रस्त कुआँ उसके स्वत्व की भूमि पर स्थित है जो कि उसे प्रतिवादीगण से विभाजन में प्राप्त हुआ था। उक्त विभाजन में यह उल्लेख नहीं है कि वादग्रस्त कुआँ वादी के संयुक्त स्वामी का है। वादी ने स्वयं के व्यय से उक्त कुएँ में मरम्मत कराई है। यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 उक्त वादग्रस्त कुएँ में मोटर रखकर जबरन सिंचाई करते हैं तो ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वादग्रस्त कुआँ वादी के एकमात्र स्वामित्व का है इसलिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रकरण का अंतिम निराकरण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है। चूँकि कुआँ वादी के ही स्वामित्व का है। इसलिए वादी का मामला प्रथमदृष्टि में पुष्ट है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में लागू होता है। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 का वादग्रस्त कुएँ पर कोई स्वत्व या आधिपत्य नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण का प्रथमदृष्टि में प्रकरण नहीं है और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी उनके पक्ष में लागू नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रकरण निरस्त किया जाये और वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाये।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 के अधिवक्ता का तर्क है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य कोई आपसी विभाजन में वादग्रस्त कुआ वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 के संयुक्त स्वामित्व में आया है, इस कारण प्रतिवादीगण को भी उक्त वादग्रस्त भूमि से वादग्रस्त कुएँ पर अपनी मोटर रखकर बारी-बारी से सिंचाई करने का अधिकार प्राप्त है। पूर्व में उक्त कुएँ पर लगी बिजली की मोटर का विद्युत कनेक्शन प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता के नाम पर था और उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम पर हो गया, लेकिन वादी उन्हें वादग्रस्त भूमि से पानी लेकर सिंचाई नहीं करने दे रहा है। वादग्रस्त कुआँ वादी एवं उनके संयुक्त स्वत्व का है। इसलिए प्रतिवादीगण का मामला प्रथमदृष्टि में पुष्ट है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में लागू होता है। वादी ने उनको वादग्रस्त कुएँ से सिंचाई नहीं करने दी तो उक्त प्रतिवादीगण की फसले नष्ट हो जायेगी और उन्हें अपूर्णीय क्षति होती। इसके विपरीत यदि प्रतिवादीगण को सिंचाई करने दी जाती है तो वादीगण को कोई भी क्षति होने की संभावना नहीं है।

10. वादी ने अपने पक्ष में जो दस्तोवज पेश किये हैं उनमें वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सेमलठा डेब तहसील ठीकरी में स्थित कृषि भूमि में पक्का कुआँ वादी की भूमि में स्थित होना प्रगट होता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 247/2 में एक कच्चा कुआँ होना प्रगट होता है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के विरुद्ध उसके स्वत्व के वादग्रस्त कुएँ से पानी लेने हेतु विवाद करने के संबंध में थाना अंजड़ में शिकायत की है जिसके आधार पर उनके विरुद्ध असंज्ञेय अपराध का प्रकरण भी दर्ज हुआ था। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 ने अपने समर्थन में स्वयं के साथ-साथ साक्षी शांतिलाल एवं गोकुल के शपथ पत्र समर्थन में पेश किये हैं, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि कृषि करने के लिए लेना और वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा हमेशा ही सिंचाई करने के संबंध में शपथ पत्र पेश किये हैं। उक्त साक्षियों ने यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता नत्थु ने उसी कुएँ से सिंचाई करने के लिए बिजली का कनेक्शन लिया था। उसकी मृत्यु के बाद बिजली का बिल वादी एवं प्रतिवादीगण मिलकर अदा करते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 ने अपने समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक 6 की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 242/3/2/1 सर्वे नम्बर 246/2/1 की खसरा वर्ष 2014-15 की प्रतिलिपि पेश की है जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 6 की भूमि को सिंचित होना लिखा है। वादी ने अपने समर्थन में स्वयं के नाम पर विद्युत कनेक्शन होने के संबंध में विद्युत बिल की प्रति पेश की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 ने उक्त वादग्रस्त कुएँ पर लगी बिजली का कनेक्शन पूर्व में प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता के नाम पर होना बताया है, लेकिन उक्त संबंध में कोई दस्तोवज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रथमदृष्टि में यह प्रगट हो कि पूर्व में उक्त कुएँ पर लगे बिजली के मोटर का कनेक्शन प्रतिवादी क्रमांक 6 के पिता के नाम पर था। प्रतिवादीगण की ओर से जिन साक्षियों के शपथ पत्र पेश किये गये वे दोनों प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि पर साझेदारी में कृषि करते हैं, इस कारण वे प्रतिवादीगण से हितबद्ध प्रतीत होते हैं।

11. इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथमदृष्टि में यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त कुआँ वादी के स्वत्व की भूमि में स्थित है और उभयपक्षों के मध्य जो विभाजन हुआ था उसमें वादग्रस्त कुएँ के उपयोग दोनों पक्षों द्वारा किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रतिवादीगण ने पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त कुआँ वादी के आधिपत्य की भूमि होने के बाद भी शेष प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त कुएँ से सिंचाई करने का अधिकार है।

12. ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टि में यह दर्शित नहीं होता है कि उक्त वादग्रस्त कुआँ जो कि वादी की भूमि में स्थित है उसमें मोटर लगाकर सिंचाई करने का प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 को अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. ओवदन आई ए नम्बर 2 स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त आवेदन निरस्त किया जाता है लेकिन उक्त कुआँ वादी की भूमि पर स्थित है और यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 उक्त कुएँ से मोटर लगाई अथवा कुएँ पर गये अथवा उसका कब्जा किया तो वादी को अपूर्णाय क्षति होगी क्योंकि वादग्रस्त कुआँ वादी की भूमि पर है। ऐसी स्थिति में वादी का मामला प्रथमदृष्टि में पुष्ट होकर सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में लागू होता है। अतः वादी का आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई ए नम्बर 1 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 और 6 को आदेशित किया जाता है कि वह वादी की कृषि भूमि ग्राम सेमलदाा डेब तहसील ठीकरी जिला बड़वानी में स्थित सर्वे नम्बर 242/3/1 तथा 246/1 रकबा 1.352 में स्थित पक्के कुएँ में विद्युत मोटर न लगाये उक्त कुएँ पर न जाये और उस पर आधिपत्य न करे।

13. इस आदेश का कोई प्रभाव वाद के अंतिम निराकरण पर नहीं होगा ।

14. आवेदन पत्र के व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)

